फार्म – ए

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण। **उपस्थिति–रवि रंजन, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।** **(निर्णय की तिथि – 10.03.2026)** **सत्रवाद संख्या – 426 / 2023** **कम्प्यूटर पंजीयन संख्या – 172 / 2023** **(ठकराहां थाना कांड संख्या – 20 / 2020 से उद्भूत)**	
सूचक	श्रीराम कुशवाहा, पिता–स्व. लगनदेव कुशवाहा, साकिन–सिसवनिया, थाना–ठकराहॉ, जिला–पश्चिम चम्पारण।
अभियोजन की ओर से	श्री प्रभु प्रसाद, विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	(1) अलाउद्दीन धोबी, पिता–सहाबुद्दीन धोबी उर्फ समसुद्दीन धोबी उर्फ कतलु धोबी, अनुमानित उम्र–30 वर्ष, साकिन–सिसवनिया, थाना–ठकराहां, जिला–पश्चिम चम्पारण, बिहार।
अभियुक्त की ओर से	श्री आदित्य कुमार गिरी, विद्वान अधिवक्ता

फार्म – बी

घटना की तिथि	17.02.2020
प्राथमिकी की तिथि	18.02.2020
आरोप–पत्र की तिथि	03.09.2021
आरोप गठन की तिथि	16.01.2024
साक्ष्य प्रारम्भ की तिथि	08.10.2024
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	02.03.2026
निर्णय की तिथि	10.03.2026
सजा आदेश की तिथि, अगर हो तो	.....

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि**	**जमानत पर मुक्त होने की तिथि**	**आरोप अन्तर्गत धारा**	**दोषी / दोषमुक्त**	**आरोपित सजा**	**धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान की गई निरोध की अवधि**
1.	अलाउद्दीन धोबी	05.07.2021	05.07.2021	363,366ए,120बी, 34 भा.दं.वि.	दोषमुक्त	.....	.....

–:निर्णयः–

1. प्रस्तुत प्रकरण में एकमात्र अभियुक्त अलाउद्दीन धोबी का विचारण भा.दं.वि. की धारा 363,366ए,120बी,34 के आरोप हेतु किया जा रहा है।
2. प्रस्तुत प्रकरण के सूचक श्रीराम कुशवाहा द्वारा ठकराहां थानाध्यक्ष के समक्ष दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर संस्थित इस काण्ड का अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2020 को समय 11 बजे दिन में सूचक की पुत्री चन्द्रकाला कुमारी उर्फ चान्दनी

कुमारी उम्र 17 वर्ष को अलाउद्दीन धोबी, समसुद्दीन धोबी की पत्नी, समसुद्दीन धोबी उर्फ कतलु धोबी, बिहारी धोबी, सदाम धोबी, लड्डू धोबी मिलकर साजिश रचकर सूचक की बेटी का अपहरण कर कहीं छिपा दिये है।

3. सूचक द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर ठकराहॉ थाना कांड संख्या–20 / 2020 दिनांक 18.02.2020, अभियुक्तगण अलाउद्दीन धोबी, समसुद्दीन धोबी की पत्नी, समसुद्दीन धोबी उर्फ कतलु धोबी, बिहारी धोबी, सदाम धोबी, लड्डू धोबी के विरूद्ध धारा 363, 366ए, 120बी,34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र संख्या–72 / 2021 दिनांक 03.09.2021, अभियुक्त अलाउद्दीन धोबी के विरूद्ध धारा 363,366ए,120बी,34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत समर्पित किया गया जिसके आलोक में दिनांक 05.10. 2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्रित धारा के अन्तर्गत घटना का संज्ञान लिया गया। दिनांक 06.04.2023 को अभियुक्त का वाद दौरा सत्र न्यायालय बेतिया को सुपुर्द कर दिया गया। स्थानांतरण पश्चात् यह वाद इस न्यायालय को निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

4. दिनांक 16.01.2024 को अभियुक्त अलाउद्दीन धोबी के विरूद्ध धारा 363,366ए,120बी,34 भा.दं. वि. के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त द्वारा उनपर लगाये गये आरोप की सत्यता से इंकार करते हुए विचारण की मॉग की गयी।

5. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के पश्चात् दिनांक 10.02.2026 को अभियुक्त का बयान धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया।

6. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्ति–युक्त ढ़ंग से संदेहों से परे साक्ष्य द्वारा साबित करने में सफल हुआ है अथवा नहीं ?

–:मन्तव्य:–

7. अभिलेख का सूक्ष्मता से परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल चार (04) साक्षीगण अ0सा0–1 अली असगर गुड्डू धोबी, अ0सा0–2 नसरूल्लाह, अ0सा0–3 विनोद कुशवाहा एवं अ0सा0–4 चन्द्रकला कुमारी उर्फ चांदनी कुमारी (अपहृता) को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप किसी दस्तावेज को सत्यापित नहीं कराया गया है। प्रतिरक्षा की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. *अभियोजन साक्षी संख्या–1 अली असगर गुड्डू धोबी हैं,* ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। तत्पश्चात् बचाव पक्ष के समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैंने स्वेच्छा से गवाही दी है।

9. *अभियोजन साक्षी संख्या–2 नसरूल्लाह* हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था।

न्यायालय द्वारा अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। तत्पश्चात् बचाव पक्ष के समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैंने स्वेच्छा से गवाही दी है।

10. *अभियोजन साक्षी संख्या–3 विनोद कुशवाहा* हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। तत्पश्चात् बचाव पक्ष के समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैंने स्वेच्छा से गवाही दी है।

11. *अभियोजन साक्षी संख्या–4 चन्द्रकला कुमारी उर्फ चॉदनी कुमारी जो इस प्रकरण की अपहृता* हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना आज से करीब 04 वर्ष पूर्व की है। मेरा अपहरण नहीं हुआ था। मैं स्वेच्छा से अपने मामा के घर गयी थी। न्यायालय के समक्ष मेरा बयान हुआ था। मैं अलाउद्दीन को 3–4 वर्षों से जानती हूॅ, 3–4 वर्षों से प्यार करती हूॅ, घटना के दिन मैं अलाउद्दीन के साथ अपनी मर्जी से भाग गयी तथा मंदिर में शादी कर ली।

बचाव पक्ष के समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि मुझे कोई भगाकर नहीं ले गया था न ही अपहरण किया था। चाची से झगड़ा हो जाने के कारण मैं अपने मामा के घर भागकर चली गयी। सही बात की जानकारी नहीं होने के कारण मेरे पिता थाना में केस कर दिये। मेरी शादी आज से करीब 02 वर्ष पहले हो चुकी है। अलाउद्दीन धोबी शादी की नीयत से मेरा अपहरण नहीं किये थे।

12. उभय पक्षों का सम्पूर्ण बहस सुना। प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस में कथन है कि अभियोजन द्वारा इस प्रकरण में अपहृता सहित कुल चार साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिसमें से तीन साक्षीगण घटना के बारे में कोई जानकारी होने से इंकार किये हैं। अपहृता अपने साक्ष्य में कथन की है कि वह अपनी मर्जी से अलाउद्दीन के साथ भागकर मंदिर में शादी की थी। उसका अपहरण नहीं हुआ था। इस प्रकार अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे उसे दोषसिद्ध किया जा सके। अतः विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा औपचारिक बहस किया गया।

13. दोनों पक्षों के बहस पश्चात् न्यायालय ने पुनः एक बार अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों में अभियोजन साक्षी संख्या–1, 2 तथा 3 ने अपने–2 साक्ष्यों में घटना के बारे में जानकारी होने से इंकार किये हैं तथा तीनों पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। अपहृता को अभियोजन साक्षी संख्या–4 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है जिसने अपने साक्ष्य के पैरा–2 में यह कथन की है कि मैं अलाउद्दीन को 3–4 वर्षों से जानती व प्यार करती हूॅ, घटना के दिन मैं अलाउद्दीन के साथ अपनी मर्जी से भाग गयी तथा मंदिर में शादी कर ली। इस साक्षी ने पैरा–3 में यह कथन की है कि मुझे कोई भगाकर नहीं ले गया था न ही अपहरण किया था।

14. उपरोक्त विवेचना, तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साक्ष्य द्वारा साबित करने में असफल रहा है। फलतः

–:आदेशः–

प्रस्तुत वाद के अभियुक्त अलाउद्दीन धोबी को उसके विरूद्ध आरोपित आरोप की धारा 363,366ए,120बी,34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत साक्ष्य के आभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं। अतः अभियुक्त को उनके प्रतिभूओं के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि द0प्र0सं0 की धारा 365 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय की प्रति को जिला दण्डाधिकारी बेतिया, पश्चिम चम्पारण को प्रेषित करें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, दिनांकित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं संशोधित

Sd/-

(रवि रंजन)

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–10.03.2026

लेखापित

Sd/-

(रवि रंजन)

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–10.03.2026

फार्म – सी

अभियोजन पक्ष / बचाव पक्ष / न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची

अ. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची :–

क्र.सं.	**नाम**	**प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)**
अ.सा. 1	अली असगर गुड्डू धोबी	अन्य साक्षी
अ.सा. 2	नसरूल्लाह	अन्य साक्षी
अ.सा. 3	विनोद कुशवाहा	अन्य साक्षी
अ.सा. 4	चन्द्रकला कुमारी उर्फ चांदनी कुमारी	अपहृता

ब. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	**नाम**	**प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)**
ब.प.सा. 1	कोई नहीं	

स. न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	**नाम**	**प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)**
न्या.सा. 1	कोई नहीं	

अभियोजन पक्ष / बचाव पक्ष / न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची

अ. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची :–

क्र.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**वर्णन**
	कोई नहीं	

ब. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**वर्णन**
	कोई नहीं	

स. न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**वर्णन**
	कोई नहीं	

द. वस्तु प्रदर्श की सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**वर्णन**
	कोई नहीं	

Sd/-

(रवि रंजन)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–10.03.2026

Sd/-

(रवि रंजन)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–10.03.2026

Date of Judgment/Order	10.03.2026
Date of Reserving Judgment/Order	02.03.2026
Uploading Date	25.03.2026
Uploaded by	Sri Rajeev Kumar, DWTC